



2026:AHC:63681

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9402 सन् 2026

मोहित

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के ओर से अधिवक्ता : वीरेन्द्र सिंह तोमर

विपक्षी के ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य-विपक्षीगण की ओर से, को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक मोहित की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 223 सन् 2025, धारा 310(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अन्तर्गत, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत, विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त नामतः भरत, कार्तिक, अभिषेक एवं सहबान के इकबालिया बयान में आया है और उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होना बताया जाता है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक दिनांक 09.12.2025

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से जेल में निरुद्ध है और उसके विरुद्ध एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन में स्पष्ट किया गया है। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त नामतः भरत, कार्तिक, अभिषेक एवं सहबान के इकबालिया बयान में आया है और उनके संयुक्त कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होना बताया जाता है। आवेदक दिनांक 09.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसके विरुद्ध एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे आवेदन में स्पष्ट किया गया है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख में प्रतिबिम्बित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक **मोहित** की उक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की दशा में उसे रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) के व्यक्तिगत मुचलके तथा दो जमानतदारों, प्रत्येक उसी धनराशि में, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटन करने से विमुख हो, और साक्ष्य से छेड़-छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा / उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित उन तिथियों पर, जब साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कुछ भी इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र है।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।